समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

R 185 – I 17

निगरानी कमाक 185/R/2017

विजय सिंह तनय हरदेव सिंह ठाकुर
निवासी-लुहरगुवां तहसील पृथ्वीपुर जिला
टीकमगढ़ म.प्र. । आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन .....अनावेदक

श्री सनील सिंह वकील द्वारा आज दि. 13-1-17 को प्रस्तुत 13-1-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी मध्य प्रदेश भू – राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी , जिला टीकमगढ़ के अपील प्र0क 145 / 2014–15 में पारित 28.10.16 के विरूद्ध ।

71
13-1-17
13-1-17

माननीय महोदय ,

सेवा मे आवेदक की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण–

1.यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक का स्वामी भूमि ग्राम लुहरगुवां की भूमि सर्वे कमांक 37,43,704, 707,708 पर काफी लम्बे समय वर्ष 1975 से आज दिनांक तक उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं उक्त भूमि पर फलदार वृक्ष पेड़ व नलकूप लगा हुआ है। पटवारी हल्का लुहरगुवा द्वारा आवेदक के विरूद्ध एक प्रतिवेदन अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया जिस पर से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत प्रकरण क 05 /अ 68 / 14–15 दर्ज करते हुये नोटिस जारी किया गया एवं प्रकरण मे तिथी 24.3.15 नियत की गई आवेदक नियत तिथी पर नियत समय के भीतर उपस्थिति हुये परन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई का मौका व दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिये वगैर एक पक्षिय रूप से आलोच्य आदेश दिनांक 24.3.15 पारित किया गया जिस विवादित आलोच्य आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी निवाडी के

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-185-एक/2017 जिला टीकमगढ़

विजयसिंह विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी निवाडी, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 145/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 28-10-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 18/03/19	